राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

क्रमांक एफ 165(13)परावि/ले.ब./ते.वि.आ./10–11/4071 जयपुर, दिनांक: 27.7.2010

प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति

तेरहवें वित्त आयोग के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2010–11 की सामान्य बुनियादी अनुदान एवं विशेष क्षेत्र बुनियादी अनुदान की ग्राम पंचायतों हेतु प्रथम किश्त की हिस्सा राशि रू. **15753.19** लाख (अक्षरे राशि रू. एक सो सत्तावन करोड तरेपन लाख उन्नीस हजार मात्र) संलग्न सारणीनुसार ग्राम पंचायतों के बैंक खातों में हस्तान्तरण किए जाने की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जाती है । ***इस राशि का उपयोग तेरहवें वित्त आयोग के तहत प्राप्त अनुदान के उपयोग हेतु विभाग द्वारा जारी किए जाने वाले दिशा निर्देशों के अध्यधीन रहते हुए उक्त दिशा निर्देशों के अन्तर्गत चिन्हित कार्यों पर ही किया जावे ।*** इस राशि का विकलेय मद निम्न प्रकार है:–

(राशि लाखों में)

मद	सामान्य बुनियादी अनुदान राशि	विशेष क्षेत्र बुनियादी अनुदान राशि	कुल योग
मांग सं. 41			
2515– अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम	15583.90	169.29	15753.19
198– ग्राम पंचायतों को सहायता			
(16)– तेरहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत ग्राम पंचायतों के लिऐ अनुदान			
[02]– कार्यकलाप / गतिविधियां			
12– सहायतार्थ अनुदान (आयोजना भिन्न)			

यह स्वीकृति वित्त विभाग की आई.डी.संख्या 271000097 दि 27.7.10 के अनुसरण में जारी की जा रही है ।

27/7/10
शासन सचिव एवं आयुक्त

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, शासन सचिव महोदय, पंचायती राज विभाग,राजस्थान, जयपुर ।
2. निदेशक,वित्त (आय–व्ययक) विभाग, को भेजकर प्रेषित कर अनुरोध है कि उक्तानुसार व्यवस्था के अन्तर्गत अपेक्षित कार्यवाही तत्काल पूर्ण करने हेतु कोष कार्यालय, सचिवालय को उचित निर्देश प्रदान करने का श्रम करावें ।
3. महालेखाकार, (लेखा एवं हक) राजस्थान, जयपुर ।
4. विशेषाधिकारी, वित्त (व्यय–5) विभाग ।
5. शासन उप सचिव, वित्त (आर्थिक मामलात) विभाग ।
6. स्टेट लीड बैंक आफीसर्स, को प्रेषित कर अनुरोध है कि संलग्न सारणी अनुसार सम्बंधित ग्राम पंचायतों के बैंक खातों में उक्तानुसार राशि अन्तरित अविलम्ब हो जाय। राशि अन्तरण से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि संलग्न सूची में अंकित बैंक खाता संख्या सम्बंधित ग्राम पंचायत का ही है, तत्पश्चात ही राशि का अन्तरण किया जावे। इसकी सुनिश्चितता हेतु समन्वय करने का श्रम करावें।
7. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, सचिवालय को प्रेषित कर अनुरोध है कि विभाग द्वारा प्रस्तुत किये जा रहे एफ.वी.सी. बिल के अनुसार चैक तैयार करवाकर विभाग को अविलम्ब उपलब्ध कराने का श्रम करावे।

लगातार–2